

शिकायत की रिपोर्ट

(प्रतिभागी के मेडिकल रिकॉर्ड का भाग नहीं है)

प्रतिभागी का नाम:		On Lok PACE #:	केंद्र/टीम:
अंतिम	प्रथम		
On Lok PACE द्वारा शिकायत प्राप्त व	ग्र ने की तिथि:		
इस शिकायत को दाखिल करने में प्रतिभाग	ी की सहायता करने वा	ले व्यक्ति का नाम:	
प्रतिभागी का प्रतिनिधि			
☐ On Lok PACE का कर्मचारी	ਰ ਼ ਸਤ ਰਿਆਸ / D		0 0 0
 कैलिफोर्निया का प्रबंधित स्वास्थ्य देख सहायता केंद्र 	янісі ічніч (Depari	ment of Managed Health	n Care, DMHC)
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:			
अगर प्रतिभागी के प्रतिनिधि का चयन किय	ग जाता है, तो प्रतिभागी	से संबंध का उल्लेख करें:	
कृपया शिकायत का पूरा विवरण प्रदान क		ट्ना का स्थान. शामिल व्यक्ति	(यों) का नाम. शिकायत
को हल करने के लिए उठाया गया कोई क	ज्दम [ं] और जहाँ संभव हो	, प्रत्यक्ष उद्धरण शामिल है)।	
रिक्त स्थान की आवश्यकता है, तो कृपया	अतिरिक्त पृष्ठीं को संल	प्र करें।	
शिकायत की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का	हस्ताक्षर:		तिथि:
 अगर आपको लगता है कि आपके साः 	थ भेदभाव किया गया है	तो कपया नीचे आपके द्वारा	अनभव की जाने वाली
भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आधार लिखें	(लागू होने वाले सभी के	। चेक करें):	3
	यं मूल [] अन्य (
 प्रतिभागी को कैलिफोर्निया के प्रबंधित 			
अनुरोध करने के उसके अधिकार और दिया जाता है। 1-888-446-2219 पर			
प्राप्त की जा सकती है।			STEEN SIGNA

जैसे ही यह रिपोर्ट पूरी होती है, कृपया इस रिपोर्ट और अतिरिक्त पन्नों को On Lok स्वास्थ्य योजना सेवा विभाग के पास भेजे दें।

02-11-02 (rev. 04/23) 2 का पृष् ठ 1

महत्वपूर्ण: यदि आपको इस फॉर्म को भरने में सहायता चाहिए, भाषा सहायता की आवश्यकता है, या टेलीफोन द्वारा शिकायत दर्ज करना पसंद करते हैं, तो कृपया 415-292-8895 पर या टोल-फ्री नम्बर 1-888-996-6565 (टीटीवाई: 711) पर स्वास्थ्य योजना सेवा विभाग को कॉल करें। शिकायत दर्ज करने या हमारी शिकायत प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे ईमेल द्वारा memberservices@onlok.org पर सम्पर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.onlok.org/PACE पर जा सकते हैं। सहायता सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

कैलिफोर्निया के प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग की शिकायत प्रक्रिया

कैलिफोर्निया के प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य प्लैन से कोई शिकायत है तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य प्लैन को 415-292-8895 या 1-888-996-6565 (टीटीवाई: 711) पर टेलीफ़ोन करना चाहिए और विभाग से संपर्क कर उसके समक्ष अपने स्वास्थ्य प्लैन की शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। इस शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करने से आपको उपलब्ध किसी भी संभावित कानूनी अधिकार या उपचार को प्रतिबंधित नहीं करता है। अगर आपको ऐसी शिकायत जो आपात स्थिति से संबद्ध हो, ऐसी शिकायत जिसका समाधान आपके स्वास्थ्य प्लैन द्वारा संतोषजनक रूप से नहीं किया गया है या ऐसी शिकायत जो 30 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझी पड़ी है, में मदद चाहिए, तो आप मदद के लिए विभाग को कॉल कर सकते हैं। आप स्वतंत्र चिकित्सा समीक्षा (Independent Medical Review, IMR) के लिए भी पात्र हो सकते हैं। अगर आप IMR के लिए पात्र हैं, तो IMR प्रक्रिया प्रस्तावित सेवा या चिकित्सा की मेडिकल आवश्यकता, ऐसी चिकित्सा के लिए कवरेज निर्णय जो प्रकृति में प्रायोगिक या जाँच योग्य हो और आपातकालीन या तत्काल चिकित्सा सेवाओं के लिए भुगतान विवाद से संबंधित किसी स्वास्थ्य प्लैन द्वारा लिए गए मेडिकल निर्णयों की निष्पक्ष जाँच उपलब्ध कराएगी। विभाग के पास बोलने और सुनने में अक्षम लोगों के लिए भी एक टोल फ्री टेलीफ़ोन नम्बर (1-888-466-2219) और एक TDD लाइन (1-877-688-9891) भी है। विभाग के इंटरनेट वेबसाइट http://www.dmhc.ca.gov में शिकायत फ़ॉर्म, IMR आवेदन फ़ॉर्म तथा निर्देशावली ऑनलाइन मौजूद हैं।

For On Lok PACE Staff Use Only:

Эn	Lok PACE staff member who received the grievance: Health Plan Services Dept Social Worker Other			
	Report received by the On Lok PACE staff member identified above: Date			
	Health Plan Services Department notified of the grievance by telephone or e-mail: Date			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	days): Date Time			
	Health Plan Services Department sent a written acknowledgment to the participant (within 5 calendar days): Date			
	Chief Medical Officer is notified of the grievance concerning medical care or urgent grievance:			
	Date Time			
	Contract Manager for the Department of Health Care Services (DHCS) is notified of the grievance:			
	Date Time			
T L	inter colonidar days from the day that the gripyanos was received, either			
	irty calendar days from the day that the grievance was received, either:			
	The grievance has been resolved. The Chief Medical Officer or the Senior Director of Health Plan Services has sent a report describing the problem's resolution, the basis for the resolution, and the review process if dissatisfaction continues to the participant and/or the participant's representative. OR			
_	The grievance is pending. A report with a brief explanation of the reasons for the delay has been sent to the			
	participant and/or the participant's representative and the Contract Manager for the DHCS.			
Eχ	pedited Review: Grievance involves an imminent and serious threat to the health of the participant			
	The participant and/or the participant's representative are immediately notified by telephone of the receipt of the request for an expedited review.			
	The participant and/or the participant's representative are notified of their right to notify the DHCS, the DMHC,			
	and the Department of Social Services of the grievance.			
	No later than 3 days from receipt of the grievance, a written statement of the final disposition or pending status of the grievance is sent to the participant and/or the participant's representative, the DHCS, and the DMHC.			

02-11-02 (rev. 04/23) 2 का पुष ठ 2